सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS No.: 2018/00023

अनवान

1. श्री कन्हैयालाल पिता वैसा गमार, निवासी–पानरवा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबू पिता काना गरासिया (भील), निवासी–डोलरिया, पोस्ट–आमीवाडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षी

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता विपक्षी।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 05-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2009 अनवान श्री कन्हैयालाल पिता वेसा गमार बनाम बाबू पिता काना गरासिया में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 16.12.2005 को बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2017 को अपास्त किया जाकर उनके द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नवनिर्णय पारित करने हेतु प्रकरण पुनः इस न्यायालय में प्रति प्रेषित किया।

माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2017 में पारित उक्त आदेश की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये प्रकरण में रेस्पोडेन्ट का अन्य ग्राम का निवासी होना, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट का 20 वर्ष पुराना कब्जा होना, आवंटी का खातेदार न होकर गैर खातेदार होना आदि आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2009 में पारित निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है।

सुनवाई तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त आवंटन विपक्षी श्री बाबू पिता काना गरासिया को नियम विरूद्ध किया गया है। विपक्षी को किये गये आवंटन से पूर्व न तो ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गयी न ही प्रोक्लेमेशन जारी हुआ। प्रार्थी श्री कन्हैयालाल पिता वैसा का उक्त भूमि पर 20 वर्ष पुराना घर बना हुआ है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से आज भी उक्त भूमि आंवटी के नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज है, जबकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आंवटी को खातेदार दर्शाया गया है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण माना है। रेस्पोडेन्ट अन्य ग्राम का निवासी है। अतः विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 16.12.2005 को निरस्त किया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए मौके पर प्रार्थी का कब्जा न होना विधिवत आवंटन होना, मौके पर विपक्षी का मकान बना होना आदि आधारो पर उक्त आवंटन नियमानुसार बताते हुये बहाल रखे जाने की मांग की।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी एवं माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 के क्रम में प्रकरण का अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री बाबू पिता काना गरासिया को मौजा माण्डवा, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 64 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 16.12.2005 को जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 1312/2005 किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने से आवंटी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में गैर खातेदारी हक से दर्ज है। तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट में विपक्षी को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का पुराना मकान लगभग 20 वर्ष पुराना बना होना बताया गया है। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 91 का नोटिस की प्रति उपलब्ध है, किन्तु उक्त नोटिस विपक्षी को आवंटित आराजी का न होकर आराजी संख्या 535/63 का है, जो प्रकरण में साक्ष्य के रूप में नही माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी को अन्य ग्राम का निवासी बताया है, जिसका किसी भी प्रकार से खंडन रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा नही किया गया है। इस प्रकार समग्र तथ्यों पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया कथित आवंटन निरस्त योग्य पाया जाता है, किन्तु मामले में यह भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मात्र प्रार्थी का कब्जा होने से प्रार्थी का अधिकार राजकीय भूमि पर नही माना जाता है एवं बिना पात्रता की जांच किये उक्त भूमि प्रार्थी को आवंटन योग्य नही मानी जा सकती है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड़ अधिकारी झाडोल द्वारा मौजा माण्डवा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 64 रकबा 0.4800 हेक्टेयर भूमि पर दिनांक 16.12.2005 को जरिये मिसल संख्या 1312/2005 से विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं

तहसीलदार झाडोल को निर्देश दिये जाते है कि विपक्षीगण को भूमि से बेदखल कर नियमानुसार भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने की कार्यवाही करावें साथ ही आवंटन निरस्ती उपरान्त उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित नही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर